सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **246/2018** दायर दिनाँक **10.07.2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. भागीरथ सिंह पुत्र स्व0 सांवतसिंह जाति राजपूत निवासी लाछडी तहसील–लाडनूं, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. गोविन्दसिंह पुत्र स्व0 भंवरसिंह 2. गौतम सिंह पुत्र स्व0 भंवरसिंह 3. सुमन कंवर पुत्री स्व0 भंवरसिंह 4. चेतन कंवर पुत्री स्व0 भंवरसिंह 5. प्रेम कंवर पत्नी स्व0 भंवरसिंह 6. धर्मवीरसिंह पुत्र स्व0 सांवतसिंह जाति राजपूत निवासी गनेडी 7. ओमकंवर पुत्री स्व0 सांवतसिंह 8. चॉद कंवर पुत्री स्व0 सांवतसिंह 9. सन्तोष कंवर पुत्री सांवतसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण लांछडी तहसील लाडनूं जिला नागौर राज0 10. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188, R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री शरीफ खां, वकील, वादी।
2. श्री विक्रम कुडी, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01, 02, 05 ता 09 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **24.12.2018**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वाके सरहद पाण्डोराई में स्थित खेत खसरा नम्बर 16 रकबा 18 बीघा 17 बिस्वा वादी के पिता व प्रतिवादी सं0 01 से 05 तक के दादा तथा प्रतिवादी सं0 06 से 09 तक के पिता स्व0 सांवतसिंह के नाम से खातेदारी में दर्ज है। उक्त खेत के अलावा स्व0 सांवतसिंह की खातेदारी संबंधित ग्राम लांछडी तहसील लाडनूं में स्थित खेत खसरा नम्बर 125 रकबा 2.19 बीघा, खेत खसरा सं0 170 रकबा 0.09 बीघा, खेत खसरा सं0 176 रकबा 4.02 बीघा, खेत खसरा सं0 184 रकबा 30.04 बीघा, खेत खसरा सं0 200 रकबा 16.11 बीघा है। स्व0 सांवतसिंह से संबंधित वंशावली वाद के साथ पेश है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 246 / 2018
दायर दिनाँक 10.07.2018, निर्णय दिनाँक 24.12.2018
भागीरथसिंह बनाम गोविन्दसिंह, वगैरा।

उपरोक्त वर्णित प्रकार से पक्षकारान के पैतृक खातेदारी के खैताय अलग–अलग जगहों पर होने से इन्होने आपसी सुझबुझ व सहमति से उक्त खैतायों का निम्न प्रकार बंटवारा कर रखा है:–

(अ) वादी के हक हिस्से कब्जे व बंट में :– मौजा पाण्डोराई में स्थित खेत खसरा नं0 16 रकबा 18 बीघा 17 बिस्वा सम्पूर्ण व सरहद लांछडी में स्थित खेत खसरा नम्बर 200 रकबा 16.11 बीघा में से 06 बीघा भूमि।

(ब) स्व0 भंवरसिंह के वारिसान प्रतिवादी सं0 01 से 05 तक के हक हिस्से कब्जे व बंट में:– ग्राम लांछडी में स्थित खेत खसरा संख्या 176 रकबा 4.02 बीघा, खेत खसरा सं0 184 रकबा 30.04 बीघा कटाण रास्ता में गई भूमि को छोडकर शेष सम्पूर्ण भूमि।

(स) प्रतिवादी सं0 06 धर्मवीर के हक हिस्से कब्जे व बंट में :– सरहद लांछडी में स्थित खेत खसरा सं0 200 रकबा 16.11 बीघा में से शेष 10.11 बीघा भूमि।

(द) स्व0 सांवतसिंह से संबंधित :–वाके सरहद लांछडी में स्थित खेत खसरा सं0 125 रकबा 2.19 बीघा भूमि का स्व0 सांवतसिंह ने अपने जीवन काल में ही स्वयं ने बैचाण कर दिया था तथा लांछडी में ही स्थित खेत खसरा नम्बर 170 रकबा 0.09 बीघा भूमि की 1/3 भूमि पर वादी तथा 1/3 भाग भूमि पर प्रतिवादी सं0 01 से 05 तथा 1/3 भाग भूमि पर प्रतिवादी सं0 06 के अलग अलग रूप से बंट के अनुसार स्व0 सांवतसिंह के जीवनकाल के समय से ही अलग अलग मकानात बने हुए है।

(य) यह है कि प्रतिवादीनी सं0 07 से 09 तक ने अपना हक हिस्सा नकद रूपयों में प्राप्त करलिया है जो कि उपरोक्त बंटवारा से सहमत है।

उपरोक्त पैरा में वर्णितानुसार पक्षकारान ने मौके पर अलग अलग बंट कर रखें है तथा श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित सरहद पाण्डोराई में स्थित खेत खसरा नम्बर 16 रकबा 18.17 बीघा की सम्पूर्ण भूमि वादी के हक हिस्से में बंट में आई हुई होने के कारण इस खेत की खातेदारी में अकेले वादी का ही नाम घोषित किया जाना लाजमी होने से यह वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण वास्ते घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 246 / 2018
दायर दिनाँक 10.07.2018, निर्णय दिनाँक 24.12.2018
भागीरथसिंह बनाम गोविन्दसिंह, वगैरा।

प्रार्थना वादी है कि :--

मौजा सरहद पाण्डोराई में स्थित पैतृक खेत खसरा नम्बर 16 रकबा 18.17 बीघा की खातेदारी अकेले वादी के नाम की घोषित की जाकर तदनुसार रेकर्ड दुरूस्ती सादर फरमावें तथा उक्त खसरा पर से प्रतिवादीगण वादी को बेदखल नहीं करें और ना ही किसी प्रकार का बैचाण, विनिमय, हस्तानान्तरण, बेदखली, नामान्तरकरण ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करें और ना ही अपने किसी एजेन्ट या प्रतिनिधि से ऐसा करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 10 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01, 10 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 09 ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना पक्षकारान् द्वारा स्वीकार किया गया। वादी की पहचान वकील श्री शरीफ खां ने की तथा प्रतिवादीगण की पहचान वकील श्री विक्रम कुडी ने की। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया। राजीनामा मुताबिक, पक्षकारान् अनुतोष वादीनुसार दावा डिक्री किये जाने में सहमत हैं।

वाद के समर्थन में वादी ने, शपथ–पत्र, जमाबन्दी ग्राम पाण्डोराई सम्वत् 2069–2072, गिरदावरी संवत 2073–2074, ट्रेस नक्शा, जमाबन्दी ग्राम लांछडी संवत 2071–2074 खेवट संख्या 321 खसरा नम्बर 725 की सत्य प्रतिलिपि, नजरीनक्शा, पेश की है।

विद्वान वकुलाय उभयपक्ष की सारगर्भित बहस सुनी गयी। पक्षकारान् जरिये वकुलाय मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वाद का किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। पक्षकारान् राजीनामा मुताबिक सहमत हैं व इसी अनुरूप दावा डिक्री किये जाने की इस्तदुआ कर रहे हैं। इसलिए राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री किया जाना न्यायालय को उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 246 / 2018
दायर दिनाँक 10.07.2018, निर्णय दिनाँक 24.12.2018
भागीरथसिंह बनाम गोविन्दसिंह, वगैरा।

आदेश

हस्ब दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर, सरहद पाण्डोराई के खसरा संख्या 16 रकबा 18 बीघा 17 बिस्वा की खातेदारी वादी भागीरथसिंह के नाम घोषित की जाती है तथा शेष खातेदार का नाम हटाया जाता है। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **24.12.2018** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **246/2018** दायर दिनाँक **10.07.2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. भागीरथ सिंह पुत्र स्व0 सांवतसिंह जाति राजपूत निवासी लाछडी तहसील–लाडनूं, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. गोविन्दसिंह पुत्र स्व0 भंवरसिंह 2. गौतम सिंह पुत्र स्व0 भंवरसिंह 3. सुमन कंवर पुत्री स्व0 भंवरसिंह 4. चेतन कंवर पुत्री स्व0 भंवरसिंह 5. प्रेम कंवर पत्नी स्व0 भंवरसिंह 6. धर्मवीरसिंह पुत्र स्व0 सांवतसिंह जाति राजपूत निवासी गनेडी 7. ओमकंवर पुत्री स्व0 सांवतसिंह 8. चॉद कंवर पुत्री स्व0 सांवतसिंह 9. सन्तोष कंवर पुत्री सांवतसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण लांछडी तहसील लाडनूं जिला नागौर राज0 10. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188, R.T.Act.

दिनाँक **24.12.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री शरीफ खां, वकील, वादी व श्री विक्रम कुडी, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01, 02 05 ता 09 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर, सरहद पाण्डोराई के खसरा संख्या 16 रकबा 18 बीघा 17 बिस्वा की खातेदारी वादी भागीरथसिंह के नाम घोषित की जाती है तथा शेष खातेदार का नाम हटाया जाता है। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत...... ....–.....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **24.12.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	— —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना (ग्रामीण)

Scanned by CamScanner